न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0 एस0 नं0–538 / 2024

विंध्याचल गोंड – वादी

बनाम्

बिहार सरकार वगैरह – प्रतिवादीगण

08.08.2025

प्रस्तुत इंतेनाई आवेदन प्रतिवादी सं0–3 के द्वारा आदेश 39 नियम 01 व 02 दफा 151 सी0पी0सी0 के अतर्गत इस आशय से दाखिल किया गया है कि वादी सं0–3 एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो कानूनी मर्यादा के अन्दर जीवन यापन करते हैं। वादी द्वारा लाया गया वाद तथ्यगत सही नहीं है। प्रतिवादी सं0–3 के द्वारा भूमि निराकरण वाद संख्या 7 / 22–23 रामराज पाल बनाम् विंध्याचल गोंड वगैरह के नाम से उप समाहर्ता डुमरांव के न्यायालय में मामला प्रारंभ हुआ है। उभय पक्ष के बहस वो सुनवाई के आधार पर वादी उप–समाहर्ता डुमरांव द्वारा पारित आदेश में वादी को अतिक्रमित घोषित करते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। उप–समाहर्ता के आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनाती नहीं दी गयी है। उक्त नंबरी वाद में वादी को उलझन में डालने एवं कार्य में बाधा डालने के नियत से लाया गया है। प्रतिवादी सं0–3 के दखल कब्जा एवं स्वामित्व में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन पक्ष में है। वादी दिनांक–28.06.2025 को प्रश्नगत एराजी पर बालू, सीमेंट, छड़ वगैरह रखकर नींव खोदकर दिवाल खड़ा करने के पक्ष में है। प्रतिवादी सं0–3 के मना करने पर मारपीट करने पर उतारू हो गए, गांव के चंद व्यक्तियों को जुट जाने पर घटना टल गयी। वादी द्वारा धमकी दी जाती है कि फौजदारी केस करके तंग, तबाह कर देंगे। वादी जातीय लाभ व असामाजिक तत्वों के बल पर नाजायज मजमा बनाकर विवादित भूमि के प्रकृति में परिवर्तन करना चाहता है जिससे प्रतिवादी सं0–3 को अपूरणीय क्षति हुई है जिसे रूपया–पैसे से नहीं आंका जा सकता है। वादी को विवादित भूमि पर कोई नया कार्य करने से अन्तिम आदेश तक रोक लगाया जाए। विवादित स्थल की जांच कराने हेतु कमिश्नर बहाल करने का आदेश दिया जाए ताकि न्याय करने में सुविधा हो सके। विवादित भूमि वादी को पर्चा सुदा एराजी दखल कब्जा सर्वे खतियान के प्रमाणिक साक्ष्य के आधार पर रैयत है। भूमि उप–समाहर्ता डुमरांव के द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद सं0–7 / 22–23 रामराज पाल बनाम् विंध्याचल गोंड में पारित आदेश से सत्यता उजागर हो सकता है। अतः निवेदन है कि साक्ष्य के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाए।

उपरोक्त आवेदन के आलोक में प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए निवेदन करते हैं कि निषेधाज्ञा आवेदन बिल्कुल गलत, तथ्य से परे एवं नियमानुकूल नहीं है। वादी ने खतियानी रैयत चंद्रिका राय के उत्तराधिकारी सीताराम राय से बजरिये निबंधित केबाला सं0–9378 दिनांक–02.09.2005 को मौजा शिवपुर दीयर जनुबी अंचल वो थाना ब्रहम्पुर थाना नंबर–92/1 खाता नंबर 50 प्लाट नंबर 2610/32 रकबा 25 डी0 फसली 1377 वो खाता नंबर 47 प्लाट नंबर 2610/35 फसली 1339 प्राप्त किया वो दखल कब्जे में आये वो दाखिल खारिज कराकर रसीद हासिल किया। मुदालेह सं0–3 मुदई को बराबर तंग परेशान करते थे वो भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश के आलोक में नापी की कार्यवाई अंचलाधिकारी ब्रहम्पुर ने कराया है। वादी ने मुकदमा सं0 28 सन् 2024–25 द्वारा नापी कराया। जिसमें अंचल अमीन ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि विंध्याचल गोंड वादी की भूमि केबाला 6 डिसमील कम है। ऐसी हालत में यह स्वयं सिद्ध है कि वादी ने प्रतिवादी की किसी जमीन अतिक्रमण नहीं किया है। वादी अपनी खरीदगी जमीन पर घर बनाना चाहता है जिससे प्रतिवादी को कोई सरोकार नहीं है परन्तु दबंगई से मकान नहीं बनने देना चाहता है। वादी के पक्ष में प्राईमाफेसी केस सुविधा का संतुलन है। यदि निषेधाज्ञा लागू नहीं की जाती है तो वादी अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जाएगा जिसकी भरपाई रूपयों से नहीं हो सकती। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–3 का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक–03.07.2025 खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि के संदर्भ में प्रतिवादी सं0 3 के पक्ष में वासगित पर्चा 1975–76 में निर्गत हुआ है। जिसमें मुदालय सं0 1 के पिता स्व0 परमानंद पाल के नाम से लगान वसून करता चला आ रहा है। जिसके आलोक में मुदालय सं0 3 के द्वारा भूमि निराकरण वाद सं0 7/2022–23 में डी.सी.एल.आर. डुमरांव द्वारा पारित आदेश के आलोक में मुदई द्वारा विवादित भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया था। जबकि वादी का कथन है कि वह विवादित भूमि सन् 2005 में भूमि के रैयत से केबाला कराया है और तब से दखल कब्जे में है। पुनः वादी के द्वारा मापी वाद सं0 28 सन 2024–25 द्वारा मापी कराया गया जिसमें वादी का केबाला भूमि 6 डी0 कम पाई गई। इसमें अंचल अमीन के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मापी के अनुसार मौके पर वादी का दखल कब्जा केबाला से प्राप्त 25 डी0 भूमि पर न होकर मात्र 19–1/2 डी0 जमीन पर ही है तथा प्रतिवादी सं0 3 रामराज पाल का दस्तावेज 29 डी0 जमीन का है लेकिन मौके पर दखल कब्जा मात्र 27–1/2 डी0 जमीन पर ही है। जिसमें दोनों पक्ष अपना–अपना मकान, झोपड़ी आदि बनाकर वास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी का प्रथम दृष्टया मामला

बतना प्रतीत होता है। चूंकि दोनों पक्षकार अपने प्राप्त भूमि से कम रकबा की भूमि पर दखल कब्जे में है। ऐसी परिस्थिति में यह निर्धारित कर पाना कि कौन किसकी भूमि पर अतिक्रमण किया है संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुविधा का संतुलन दोनों के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। पुनः प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष अपूरणीय क्षति कारित होने के तत्व को प्रस्तुत करने में असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी का निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाता है।

अगली तिथि..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय